भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह,विलिंग्डन आईलेंड,कोचिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422
E-mail: cochincustoms@nic.in Fax: 0484-2668468

F.No.: CUS/AG/17/2022-A/GR दिनांक dated:- 06.04.2023

DIN-20230458MB0000444BEB

सार्वजनिक सूचना सं. PUBLIC NOTICE NO. 09/2023

विषय: सी बी आई सी परिपत्र सं.09/2023-सीमा शुल्क दिनांक 30.03.2023 के संदर्भ में कार्गो की कुछ श्रेणियों की निकासी- के संबंध में।
Sub: Clearance of certain classes of cargo with reference to CBIC Circular No.09/2023-Cus dated 30.03.2023- Reg.

सीमा शुल्क (इलेक्ट्रॉनिक केश लेजर (बही)) विनियम, 2022 (ई सी एल आर) की अधिसूचना के साथ, अधिसूचना संख्या 20/2022-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 30.03.2022 द्वारा अधिसूचित, धारा 51ए के सांविधिक वैधानिक प्रावधान 01.06.2022 को लागू हुए है। तथापि, सभी जमा वर्गों को अधिसूचना संख्या 47/2022-सीमा शुल्क (एनटी) दिनांक 31.05.2022, यथासंशोधित के अनुसार, 31.03.2023 तक धारा 51ए के प्रावधानों से छूट दी गई थी। इसके अलावा, परिपत्र संख्या 09/2023-सीमा शुल्क दिनांक 30.03.2023 के अनुसार, बोर्ड ने 01.04.2023 से चरणों में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ई सी एल) को सक्षम किया है। तथापि, कथित प्रावधानों को सक्षम करने पर, कुछ मामलों में, व्यापार से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि, शुल्क के भुगतान के बाद, आई सी ई एस में इसे प्रदर्शित नहीं किया जा रहा है और आई सी ई एस द्वारा आउट ऑफ चार्ज प्रभावी नहीं हो रहा है।

With the notification of the Customs (Electronic Cash Ledger) Regulations, 2022 (ECLR), notified vide Notification No.20/2022-Customs (N.T.) dated 30.03.2022, the statutory provisions of Section 51A came into force on 01.06.2022. However, all the deposit classes were exempted till 31.03.2023, vide Notification No.47/2022-Customs(NT) dated 31.05.2022, as amended, from the provisions of Section 51A. Further, vide Circular No. 09/2023-Customs dated30.03.2023, the Board has enabled the Electronic Cash Ledger (ECL) in phases from 01.04.2023. However, on enabling the said provisions, in some instances, grievances from the trade have been received that after payment of the duty, the same is not being reflected in ICES and Out of charge is not getting effected by the ICES.

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, व्यापार को सुविधाजनक बनाने और ड्वेल टाईम पर नियंत्रण रखने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि ए ई ओ (टी2 और टी3) ग्राहकों, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, डी पी डी ग्राहकों और कार्गो से संबंधित मामलों में विदेश व्यापार नीति के तहत स्टेटस रखने वालों के लिए, जहाँ शुल्क का भुगतान तो कर दिया गया है पर वह आई सी ई एस में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, तो ऐसे मामले में यदि आयातक के एक बैंक

प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर जिसमें शुल्क राशि के भुगतान का संकेत हो और यदि शुल्क जमा नहीं हो सका है तो उसके साथ एक वचनबंध संलग्न करने पर कि, आयातक उसे तुरंत जमा कर देगा, डॉक्स अधिकारी मैनुअल आउट ऑफ चार्ज प्रदान करेंगे। इसी तरह की सुविधा लिक्विड बल्क कार्गो और न्यूज़प्रिंट कंसाइनमेंट के साथ-साथ खराब हो जाने वाली वस्तुओं के कार्गो के आयात के लिए भी दी जाएगी।

In view of the above, in order to facilitate the trade and to keep a check on dwell time, it has been decided that in cases of cargos pertaining to AEO (T2 and T3) Clients, Government Departments, PSUs, DPD Clients and Status Holders under Foreign Trade Policy where the payment of the duty has been made but the same is not being reflected in ICES, the docks officer shall grant manual Out of charge, if the importer produces a bank certificate indicating the payment of duty amount along with an undertaking that in case duty is found to be not credited, the importer shall deposit the same immediately. Similar facility would be extended to imports of Liquid Bulk Cargo and Newsprint consignments as well as perishable cargo.

3. डॉक्स/शेड के प्रभारी उप आयु./सहा. आयु. को क्रमशः 2 और 4.1 में उल्लिखित आयात और निर्यात के ऐसे मामलों के लिए एक रजिस्टर प्रबंधित रखने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक दिन के अंत में, उप आयु./सहा. आयु.(डॉक्स/शेड) ऐसे मामलों की रिपोर्ट को मूल्य निरूपण (आयात) को अग्रेषित करेंगे।

DC/AC in charge of Docks/Shedis directed to maintain a register for such cases of import and export mentioned in 2 and 4.1 respectively. At the end of each day, DC/AC (Docks/Shed) shall forward the report of such cases to the Appraising (Import).

4. पोर्ट के संबंधित मूल्यांकन अनुभाग (INCOK1) और ACC (INCOK4) ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, अगले कार्य दिवस पर संबंधित बैंकों के साथ भुगतानों का सत्यापन करेंगे। ऐसी प्रविष्टियों के भुगतान के सत्यापन के बाद डॉक रजिस्टर के साथ-साथ मूल्य निरूपण (आयात) डेटाबेस से काट दिया जाएगा और आई सी ई एस में मैनुअल आउट ऑफ चार्ज का नियमितीकरण किया जाएगा।

The respective Appraising section of the port (INCOK1) and ACC (INCOK4) on receipt of such reports, will verify the payments with the concerned banks on the following working day. After verification of the payment of such entries shall be struck off from the Docks register as well as Appraising (Import) database and the manual Out of charge shall be regularized in the ICES.

4.1 मैनुअल एल ई ओ के आधार पर समान प्रक्रियाओं और निगरानी तंत्र का पालन करते हुए चावल के निर्यात की भी अनुमति दी जाएगी।

Export of rice will also be allowed on the basis of manual LEO by following identical procedures and monitoring mechanisms.

5. आयातकों को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 49/59 की शर्तों के अनुसार वेयरहाउसिंग की सुविधा का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, यदि वे इस हेतु उपयुक्त पाए जाते हैं।

Importers are also encouraged to avail the facility of warehousing in terms of Section 49/59 of Customs Act, 1962, if found suitable.

6. इस सार्वजनिक सूचना के क्रियान्वयन में किसी कठिनाई का सामना किया जाने पर INCOK1 के संबंध में आने वाले मुद्दों को सीमा शुल्क अपर आयुक्त(rajeswari.r@gov.in) तथा INCOK4 के सबंध में संयुक्त

आयुक्त(senthilkumar.p@gov.in) के संज्ञान में लाया जाएं। आई सी ई एस के संबंध में सहायता और महानिदेशालय (सिस्टम) के साथ संपर्क के संबंध में किसी प्रकार की सहायता के लिए उप आयुक्त (ई डी आई) (harikrishnan.dileep@gov.in) को संपर्क बिंदु के रूप में नामित किया गया है।

Difficulties, if any faced in the implementation of this public notice may be brought to the notice of the Additional Commissioner of Customs (rajeswari.r@gov.in) in respect of issues faced at INCOK1 and Joint Commissioner (senthilkumar.p@gov.in) at INCOK4. The Deputy Commissioner (EDI) (harikrishnan.dileep@gov.in) is designated as the point of contact for any assistance with respect to ICES and liaison with Directorate General (Systems).

7. उपर्युक्त कार्रवाई 13.04.2023 तक जारी रहेगी यदि उन्हें उससे पहले रद्द नहीं किया जाता है तो, और ये समय-समय पर होने वाली घटनाओं के अनुसार समीक्षा के अधीन होगी।

The above measures would be in operation till 13.04.2023 unless revoked earlier and would be subject to review as per developments from time to time.

8. सीमा शुल्क गृह के सभी अनुभाग और आयुक्तालय का एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो मूल्यांकन और निकासी का कार्य देख रहे हैं, वे अपना कार्य दिनांक 7, 8 और 9 अप्रैल, 2023 को भी जारी रखेंगे। यह सार्वजनिक सूचना और निर्धारित प्रक्रिया इससे संबंधित सभी अधिकारियों के लिए एक स्थायी आदेश के रूप में प्रभावी होगी।

All sections of the Custom House and Air Cargo Complex of the Commissionerate dealing with assessment and clearance will remain functional on 7th, 8th and 9th of April, 2023. This public notice and procedure prescribed herein shall have the effect of a standing order for all officers concerned.

9. सी बी आई सी ने एक सीमा शुल्क (ब्याज की छूट) आदेश, 2023 दिनांक 06.04.2023 को जारी किया है(आदेश संख्या 01/2023-सीमा शुल्क (एन. टी.) जिसमें, पैरा 2 के अनुसार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 की उप-धारा (2) के तहत 1 अप्रैल से 10 अप्रैल, 2023 तक की अवधि के लिए ऐसी वस्तुओं के संबंध में संपूर्ण देय ब्याज में छूट दी गई है, जिनके लिए आयात शुल्क का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में उपलब्ध राशि से किया जाना है। यह सभी के संज्ञान में लाया जाता है।

CBIC has issued a Customs (Waiver of Interest) Order, 2023 dated 06.04.2023 (Order No.01/2023-Customs (N.T.) wherein, vide Para 2 the whole of interest payable under sub-section (2) of section 47 of the Customs Act, 1962 has been waived for the period from 1st April up to 10th April, 2023 in respect of such goods where the payment of import duty is to be made from the amount available in electronic cash ledger. This is brought to the attention of all.

10. इसे मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क तिरुवनंतपुरम क्षेत्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Chief Commissioner of Customs, Thiruvanathapuram Zone.

(पी. जयदीप, भा.रा.से. P. JAIDEEP, IRS)

सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS

प्रतिलिपि प्रस्तुत Copy to:

1. मुख्य आयुक्त केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरूवनंतपुरम जोन, आई एस प्रेस रोड, कोचिन The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise and Customs, Thiruvanathapuram Zone, I.S.Press Road, Cochin
2. सीमा शुल्क अपर आयु./ संयुक्त आयु. सीमा शुल्क गृह, कोचिन
Addl. Commissioner/ Joint Commissioner of Customs, Custom house, Cochin
3. सीमा शुल्क सहायक आयुक्त(डॉक्स/मूल्य निरूपण आयात), सीमा शुल्क गृह, कोचिन The Assistant Commissioner of Customs (Docks/Appraising Import), Custom House, Cochin
4. सभी सीमा शुल्क उप आयु./ सहा. आयु.
All DC/AC of Customs
5. मूल्य निरूपक अधिकारी, सीमा शुल्क गृह, कोचिन
The Appraising Officers, Custom House, Cochin
6. सीमा शुल्क गृह, कोचिन की वेबसाइट में अपलोड करने हेतु ई डी आई अनुभाग को
EDI section, Custom House, Cochin for uploading on website.
7. सूचना पट्ट Notice Board
8. सीमा शुल्क ब्रोकर असोसिएशन, कोचिन The Custom Brokers association, Cochin
9. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट Cochin Port Trust
10. कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड(सी आई ए एल)Cochin International Airport Limited (CIAL)
11. सीमा शुल्क गृह के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी कंटेनर फ्रेट स्टेशन
All Container Freight Stations in the jurisdiction of Customs House Cochin